<u>अति–आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–अराज0 / सामान्य / टी.सी. / 2024 / 148 दिनांकः– 18/3/2024

निदेशक, क0रा0बी0 योजना,
विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल,
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक / राजकीय मेडीकल कॉलेज / राजमेस / एसआरजी, झालावाड / आरयूएचएस,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
एवं शेष नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– ई–डाक एवं ई–फाईल से ही कार्य सम्पादन किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 27.02.2024, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 29.02.2024 एवं निदेशालय के पत्रांक 08 दिनांक 19.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देशों के क्रम में लेख है कि निदेशालय के संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 01 द्वारा अपको पूर्व में निर्देशित किये जाने के पश्चात भी आप द्वारा प्रस्ताव ई–डाक के माध्यम से नहीं भिजवाते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा संबंधित कार्मिक के द्वारा व्यक्तिशः निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं जो कि उचित नहीं है।

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 27.02.2024 एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 29.02.2024 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समस्त कार्य राजकाज ई–डाक / ई–फाईल के माध्यम से ही संपादित किया जाना है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय को प्रेषित की जाने वाली समस्त डाक राजकाज ई–डाक के माध्यम से ही भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि उक्त निर्देशों के पश्चात भी आप द्वारा भौतिक रूप से प्रस्ताव निदेशालय भिजवाये जाते हैं तो

Rajkaj Ref 6121273

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.17 14:01:59 IST
Reason: Approved

संबंधित नियंत्रण अधिकारियों के विरूद्ध निर्देशों की अवहेलना में कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–अराज0 / सामान्य / टी.सी. / 2024 / 148 दिनांकः– 18/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए सभी संबंधित को ई–मेल भी करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6121273

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.17 14:01:59 IST
Reason: Approved